

प्रत्यक्ष और परीक्षा करो' में अन्तर बराब। दोनों में कर्मों
अन्वेषण है। इसके गुण दोषों की खिन्ने।

प्राचीन समय से ही विद्वानों के बीच इस बात के लिए
मतभेद रहा है कि एक ही तरह का कर हो या अनेक
तरह का। कुछ समाजवादी अर्थशास्त्री आज एवं
सम्पत्ति पर ही कारारोपण पसन्द करते हैं पर
आधुनिक अर्थशास्त्री बहुकर प्रणाली में विश्वास
करते हैं। आर्थिक पंजा के अनुसार करों की
थोड़ा थोड़ा करके कई मदों में बांट देना चाहिए।
वैद्य प्रकार बहुकर प्रणाली ही आधुनिक युग में
कारारोपण की मुख्य प्रणाली बन गई है।

जहां तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष
कर का प्रश्न है यह राजस्व में बहुत ही
महत्वपूर्ण है। दोनों की अपनी-अपनी विशेषता है
और दोनों मिलकर किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती है।

प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का
भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिससे तुरन्त लेना
चाहती है। वह इसके भार को स्वयं सहन करता है और
दूसरे पर इसे नहीं टाल सकता है। वहीं दूसरी ओर
अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका दबाव किसी
और पर पड़ता है और उसका भार कोई और
बहन करता है।

डाल्टन ने प्रत्यक्ष और परीक्षा कर की
परिभाषा देते हुए कहा कि एक प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति
द्वारा चुकाया जाता है जिसपर वैधानिक रूप से
लगाया जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर
लेकिन उसे प्रकृत या आंगिक रूप से अन्य
व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाता है।

Prof. Sircar के अनुसार वे कर
जो तुरन्त ही व्यक्तियों की आय अथवा सम्पत्ति पर

लगाये जाते हैं जिनका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा सरकार को सीधा है जबकि अन्य सभी कर जैसे व्यवसाय-मनोरंजन, बिली इत्यादि पर लगाये जाते हैं परीक्ष कर के समूह में रखे जाते हैं।

Marks के अनुसार - प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर का अन्तर करदाता तथा राजस्व के अधिकारियों के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर है।

उपभुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष कर उसी पर लगाया जाता है जिसके पाकेट से सरकार वसूलना चाहती है और Indirect tax वह है जिसका impact और incidence अलग-अलग व्यक्तियों पर पड़ता है।

प्रत्यक्ष करों के गुण :- →

(i) न्यायपूर्ण → प्रत्यक्ष कर लोगों की करदान योग्यता के आधार पर लगाये जाते हैं। जिसकी जितनी आय प्राप्त होती है वह उतना ही tax देना है। इसलिए यह tax न्यायपूर्ण है।

(ii) निश्चितता → प्रत्यक्ष कर सरकार और व्यक्ति दोनों के लिए निश्चित होता है। सरकार भी जानती है कि उसे इस कर से कितनी आय प्राप्त होगी और व्यक्ति भी जानता है कि उसे कितनी और कहां कर देना है।

(iii) लोचकता → Direct tax लोचदार होता है। इसमें समय और परिस्थिति के अनुसार सरकार अपनी आय के अनुसार कमी या वृद्धि कर देती है।

(iv) मितलीता → Direct tax कुछ ही व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसे वस्तु के लिए कम खर्च पड़ता है। इसलिए यह मितलीता है।

(iv) मांगारिकता की भावना : → प्रत्यक्ष कर देनेवाला व्यक्ति अपनी अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति समर्पक रहता है एवं आवश्यकता के अनुसार सरकार पर अंकुश भी लगाता है।

(vi) उत्पादकता → Direct tax में उत्पादकता का गुण मौजूद होता है। इससे सरकार को आर्थिक विकास में मदद मिलती है।

→ दीर्घ →

(i) करों की चोरी → प्रत्यक्ष कर चुकाने वाले व्यक्ति को सीधे प्रभावित करता है इसलिए व्यक्ति का हिसाब बेधार करता है और कर से बचता है।

(ii) अनुविधाजनक → कर चुकाने के पहले आय व्यय का लेखा जोखा करना पड़ता है जिससे बड़ा ही दिक्कत होता है।

(iii) सीमित क्षेत्र → इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है सिर्फ वही लोग ही इस कर को चुकाते हैं जिसपर लगाया जाता है।

(iv) इससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ज्यादा उत्पादन करने पर ज्यादा कर देना पड़ता है।

(v) चुकने वाले कर बहुत कम लोग ही चुकाते हैं जिससे आय पंजीयन नहीं मिल पाता है।